

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -193

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-02059

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अविनाश ट्वीन सिटी", प्रमोटर-अविनाश ट्वीन सिटी प्रा. लि., द्वारा-श्री आनंद सिंघानिया, पता-एम.आई.जी.-25, सेक्टर-2, आरोग्य हॉस्पिटल के समीप, स्टेट बैंक शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-" अविनाश ट्वीन सिटी" कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
04/03/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "अविनाश ट्वीन सिटी" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA250619000998 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 25.06.2019 से पंजीकृत किया गया भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 (2)(I)(D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-06/रेरा/2018/158, दिनांक 19.04.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा सुनवाई के दौरान दिनांक 02.02.2024 को आदेश पारित करते हुये अनावेदक को निम्नानुसार आदेशित किया गया :-</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा धारा-60 एवं 61 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनावेदक पर धारा-63 अंतर्गत रूपये 50,000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, एक माह के भीतर शास्ति की राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा करना सुनिश्चित करे। यदि अनावेदक द्वारा एक माह की अवधि में भी शास्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत अनावेदक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 का पालन किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 50,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 27.02.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा किया</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -193

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-02059

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अविनाश ट्वीन सिटी", प्रमोटर-अविनाश ट्वीन सिटी प्रा.

लि., द्वारा-श्री आनंद सिंघानिया, पता-एम.आई.जी.-25, सेक्टर-2, आरोग्य
हॉस्पिटल के समीप, स्टेट बैंक शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" अविनाश ट्वीन सिटी" कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त त्रुटियों को सुधार कर लिया गया है। सी.ए. के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक द्वारा धारा-4 (2)(1)(D) का संचालन किया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक को अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	